राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1132/2013/बीकानेर

सहायक आयुक्त
विशेष वृत,बीकानेर ..अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बीकानेर सिरेमिक्स प्रा.लि.
बीकानेर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक .प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.03.2017

निर्णय

1. यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत,बीकानेर (जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी** कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **अपीलीय अधिकारी** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 433/आरवैट/बीकानेर/2011–12 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 30.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. अपील सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने ई–। फार्म के बिन्दु C–। में लार्सन एण्ड टुब्रो कनूर का अंकन होने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त माल को केन्द्रीय अधिनियम की 6(2) के अन्तर्गत बिक्री नहीं मानी है जबकि उक्त लार्सन एण्ड टुब्रो कनूर का अंकन बिन्दु C(ii) में कॉलम में किया जाना था जो गलती से C(i) में कर दिया है, जो तकनीकी भूल है, जिसके आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 सपठित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 31.03.2009 को आदेश पारित करते हुए कर रू. 11,398/– व ब्याज रू. 15232/–आरोपित किया, जिसे अपीलीय अधिकारी ने उचित नहीं मानते हुए अपास्त किया है।

4. विभागीय प्रतिनिधि उप राजकीय अभिभाषक ने उक्त कथन का खण्डन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का कथन किया ।

लगातार.....2

5. उभय पक्ष की बहस पर विचार किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.2013 का अवलोकन किया गया। रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि त्रुटि वश C(ii) के स्थान पर C(i) अंकित कर दिया गया है, जो तकनीकी त्रुटि है और इस आधार पर 6(2) के अन्तर्गत बिकी किया जाना नहीं माना उचित नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है । फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2013 को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया ।

(मदल लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष